महत्वपूर्ण एवं खास

चाकूबाजी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

बलौदाबाजार (आरएनएस)। जिले की थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने पिछले दिनों एक युवक को जान से मारने की धमकी देते हुए धारदार चाकू से मारकर उसे गंभीर चोट पहुंचाने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 06.01.2025 को प्रार्थी गंगेश सोनवानी निवासी ग्राम रिसदा द्वारा थाना सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि वह अपने साथियों के साथ ग्राम ढाबाडीह में छत्तीसगढ़ नाचा का प्रोग्राम देखने गया था तथा सुबह करीब 4:00 बजे ग्राम ढाबाडीह के रहने वाले दीनू टंडन तथा रामाधार टंडन द्वारा उसके सांथ विवाद करने लगे और अश्लील गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर प्रार्थी के साथी हरियाली सोनवानी तथा संदीप को मारपीट किए हैं। साथ ही अपने हाथ में रखे धारदार चाकू से वार कर संदीप को गंभीर चोट पहुंचाया है। मामले की रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली में आरोपियों के खिलाफ धारा 109,3(5) बीएनएस का प्रकरण पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया, जिनसे पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा प्रार्थी एवं उसके साथियों के साथ लड़ाई झगड़ा करते हुए उन्हें चाकू से वार कर गंभीर चोट पहुंचाना स्वीकार किया। जिसके बाद दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार किया गया।

सेजेस स्कूल संविदा भर्ती हेतु वॉक इन इन्टरव्यू में अब शाम 5.30 बजे तक लिया जायेगा आवेदन

सारंगढ़ बिलाईगढ़। संविदा भर्ती के इच्छुक आवेदकों के आवागमन में देरी क़ो ध्यान में रखते हुए संवेदनशील जिला शिक्षा अधिकारी लक्ष्मी प्रसाद पटेल ने 10 जनवरी 2025 को वॉक इन इंटरव्यू में आवेदन जमा करने की समय सीमा को बढ़ाकर अब शाम 5.30 बजे तक किया है. स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खेलभांठा सारंगढ़ में इंटरव्यू चल रहा है। संविदा पदों में भौतिकी, रसायन, जीवविज्ञान, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, वाणिज्य, कला, कंप्यूटर के व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्रायमरी शिक्षक के पद शामिल है। यह विज्ञापन जिले के वेबसाइट सारंगढ़ बिलाईगढ़ डॉट सीजी डॉट जीओवी डॉट इन https://sarangarh-bilaigarh.cg.gov.in/ पर उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में विज्ञापित आवेदन जमा करने की सुबह 9 से 11 बजे की समय अवधि क़ो नोडल अधिकारी सेजेस नरेश कुमार चौहान ने "वॉक इन इन्टरव्यू" के लिए प्रातः 9 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक पंजीयन कराने पर इन्टरव्यू में शामिल होने की अनुमति दिया था।

मिशन अस्पताल की तोड़-फोड़ पर हाई कोर्ट की रोक, क्रिश्चियन वूमन बोर्ड ऑफ मिशन ने लगाई है याचिका

बिलासपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बिलासपुर के मिशन अस्पताल परिसर स्थित भवन में तोड़-फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. एक दिन पहले ही कमिश्नर कोर्ट के आदेश के बाद निगम का अमला 10 बुलडोजरों के साथ अस्पताल कैंपस में बने भवनों को ढहाने की कार्रवाई शुरू की थी. मामले में क्रिश्चियन वूमेन बोर्ड ऑफ मिशन के अलावा एक अन्य की से लगाई गई याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने निगम की जमींदोज करने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि संभाग आयुक्त के न्यायालय से अपील खारिज होने के बाद सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन पुनर्वास विभाग से अपील की गई थी, जहां मामला पेंडिंग है. इसके बावजूद तोडफ़ोड़ की कार्रवाई की गई. जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने 15 दिनों में सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन पुनर्वास विभाग को अपील का निराकरण करने कहा है, साथ ही अपील के निराकरण तक तोडफ़ोड़ की कार्रवाई स्थगित रखने का आदेश जारी किया है.

बेसहारा गायों को काटकर बेचते थे, 226 किलो से ज्यादा गोमांस बरामद, राजधानी के अलग-अलग जगह में सप्लाई

रायपुर | आरएनएस

आजाद चौक के मोमिनपारा में पुलिस ने बुधवार देर रात 226 किलो गोमांस बरामद किया। इस मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है. जिसमें पिता-पुत्र भी शामिल हैं। बजरंग दल और गोसेवकों की सूचना पर पुलिस ने दुलदुल गली स्थित मकान में दबिश दी थी।

यहां गोमांस के साथ पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा का समीर मंडल पकड़ा गया, जबकि आरोपित आटो चालक फरार है। गोमांस बरामद होने से निकाय चुनाव से पहले रायपुर का माहौल गरमा गया है।

पुलिस ने छापा मारकर प्लास्टिक की अलग-अलग थैलियों में गोमांस के साथ उपयोग में लाया गया बड़ा चाकू, तराजू सहित अन्य सामान जब्त किया। पुलिस ने जब्त मांस को लैब भेजा, जहां से इसके गोमांस होने की पुष्टि हुई है। पुलिस इस मांस का अंतिम संस्कार करेगी। एसएसपी डा. लाल उम्मेद सिंह ने पत्रकारों को मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि आरोपितों ने विधानसभा रोड स्थित धनेली के एक मैदान में दो बेसहारा गायों को काटा था। आटो से घर लाया गया और कुछ लोगों को बेचा भी गया है।

पुलिस के हाथ आरोपियों की एक डायरी भी लगी है जिसमें क्लाइंट्स के नाम हैं, अलग-अलग क्लाइंट्स को किलो भाव में गोमांस सप्लाई किया जाता था पुलिस और भी तबीयत कर रही है। आशंका है कि इन गौमांस को शहर में अलग-अलग जगह पर खपाया जाता था, इनके पास एक बड़ी शादी में गौमांस सप्लाई करने का ऑर्डर भी था।

गौमांस बिक्री के मामले में 2 और महिलाएं गिरफ्तार

❐ प्रकरण में अब तक कुल 08 आरोपियों को किया गया है गिरफ्तार

राजधानी को आजाद चौक थानाक्षेत्र के मोमिन पारा में गौमांश ब्रिकी के मामले में पुलिस ने दो और महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इसके पूर्व पुलिस ने मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

बता दें कि राजधानी को आजाद चौक थानाक्षेत्र के मोमिन पारा में गौमांश ब्रिकी करने का मामला सामने आया था। सूचना पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए थाना आजाद चौक में आरोपियों के खिलाफ धारा 299, 325 बीएनएस तथा छग कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 5, 6, 10 के 6 आरोपी समीर मण्डल पिता साईफल मण्डल उम्र 36 साल निवासी नंदग्राम मधबापुर ग्राम जे एल नंबर 152 थाना कोतुलपुर जिला बांकुरा कलकत्ता पश्चिम बंगाल। हाल पता - दरगाह वाली गली मौदहापारा रायपुर,खुर्शीद अली पिता गुलाम अली उम्र 80 साल निवासी मोमिनपारा दुलदुल गली के पास थाना आजाद चौक रायपुर,मोह. मुन्तजीर हैदर उर्फ हैदर पिता खुर्शीद अली उम्र 30 साल निवासी डॉ. भागवत क्लिनिक के सामने मोमिन पारा थाना आजाद चौक रायपुर,अशफाक अली पिता खुर्शीद अली उम्र 47 साल निवासी मोमिनपारा जे के किराया भण्डार के सामने थाना आजाद चौक रायपुर,अरमान हैदर पिता खुर्शीद अली उम्र 28 साल निवासी मोमिनपारा दुलदुल गली हाण्डीपारा थाना आजाद चौक रायपुर तथा मोहम्मद ईरशाद कुरैशी पिता मोहम्मद रज्जाक कुरैशी उम्र 28 साल निवासी बिलाल नगर बोरियाखुर्द थाना टिकरापारा रायपुर को दिनांक 09.01.25 को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से गौमांस, नायलोन रस्सी, लकडी का गुटका, तराजू, किलो बाट, मांस काटने का 04 बडा हथियार/चाकू तथा बिक्री रकम नगदी 2550 रूपये जप्त किया गया था। मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर प्रकरण में संलिप्त 02 महिला आरोपी बिलकिस बानो पति खुर्शीद अली उम्र 70 साल निवासी मोमिनपारा थाना आजाद चौक रायपुर तथा एरम जेहरा पिता असगर अली उम्र 30 साल निवासी मोमिनपारा थाना आजाद चौक रायपुर को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों से प्रकरण के संबंध में विस्तृत पूछताछ जारी है।

रायगढ़ पुलिस की अनोखी पहल: कोटवारों की बैठक में मेधावी छात्रों और नागरिकों का सम्मान

रायगढ़

जिले में पुलिस प्रशासन ने सामुदायिक जुड़ाव को मजबूत करने के उद्देश्य से एक अनोखी पहल की है। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा-निर्देशन पर सभी थानाक्षेत्रों में ग्राम कोटवारों की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इन बैठकों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उपायों पर चर्चा के साथ ही मेधावी छात्रों और अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले नागरिकों को सम्मानित किया जा रहा है।

थाना कोतरारोड़ में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश मरकाम की अध्यक्षता में ग्राम कोटवारों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्राम कोटवारों को उनके कर्तव्यों, क्षेत्रीय विवादों को सुलझाने और पुलिस को समय पर सूचना देने के महत्व पर विशेष जानकारी दी गई।

इस दौरान कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कोटवारों की भूमिका पर जोर दिया गया।

इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश मरकाम और थाना प्रभारी कोतरारोड़ त्रिनाथ त्रिपाठी की उपस्थिति में थानाक्षेत्र के 10 उत्कृष्ट व्यक्तियों को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इनमें शिक्षकों, स्वास्थ्य कर्मियों, ग्राम कोटवारों और छात्रों को उनके विशिष्ट योगदान के लिए सराहा गया।

सम्मानित नागरिकों में शामिल थे:

1. हुलसराम चौधरी: शासकीय प्राथमिक शाला किरोड़ीमल नगर के शिक्षक।
2. परशुराम राठिया: शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोरखा के शिक्षक।
3. दीपांशु गुप्ता: आठवीं कक्षा में 80% अंक अर्जित कर क्षेत्र का नाम रोशन किया।
4. शिवनारायण आदित्य: दसवीं कक्षा में 90% अंक हासिल कर उत्कृष्ट प्रदर्शन।
5. जितेंद्र चौहान: ग्राम कोटवार, कुरमापाली।
6. जग नारायण बघेल: ग्राम कोटवार, लिटाईपाली।
7. प्रमिला चौहान: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैरपुर में स्वास्थ्य कार्यकर्ता।
8. लक्ष्मी साहू: शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोतरा में स्वास्थ्य कार्यकर्ता।
9. राजीव डनसेना: ग्राम पंचायत तारापुर के सरपंच।
10. कामता प्रसाद पटेल: ग्राम पंचायत कांटाहरदी के सरपंच प्रतिनिधि।

यह पहल न केवल कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहायक होगी, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास भी है।

बगीचा एसडीएम ने कांसाबेल तहसील के पटवारी हल्का नं. 16 बांसबहार को किया निलंबित

❐ समीक्षा बैठक में बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित होने पर हुई कार्यवाही

जशपुरनगर (आरएनएस)। बगीचा एसडीएम ऋतुराज बिसेन ने कांसाबेल तहसील के पटवारी हल्का नं. 16 बांसबहार अमित कुमार चौहान को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।

एसडीएम ने आज 10 जनवरी 2025 को तहसील कार्यालय कांसाबेल में पटवारी की बैठक लेकर उनके कार्यों की समीक्षा की। बैठक के दौरान पटवारी हल्का नं. 16 बांसबहार अमित कुमार चौहान द्वारा बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित एवं शासन के महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन में योगदान नहीं किया जाना पाया गया। जो कि उनके स्वेच्छाचारितापूर्ण व्यवहार एवं कदाचार की श्रेणी में आता है तथा कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही प्रतीत होती है। उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होने के कारण अमित कुमार चौहान, हल्का पटवारी, हल्का नं.-16 बांसबहार को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय तहसीलदार सन्ना निर्धारित किया किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

आबकारी विभाग ने जब्त की विदेशी मदिरा

रायगढ़

जिले में आबकारी विभाग ने एक बड़ी कार्यवाही की है, जिसमें विदेशी मदिरा की जप्ती की गई है और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्यवाही कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देशन एवं जिला आबकारी अधिकारी क्रिस्टोफर खलखो के मार्गदर्शन पर की गई है।

आबकारी विभाग को विदेशी शराब धारण एवं विक्रय की शिकायत मिली थी, जिसके बाद आबकारी वृत्त घरघोड़ा, थाना लैलूंगा क्षेत्रांतर्गत ग्राम-केशला में कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही में आरोपी गणेश बंजारा के आधिपत्य में 7.2 बल्क लीटर जम्मू स्पेशल व्हीस्की जप्त की गई। आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत गैर जमानतीय धारा के तहत प्रकरण कायम किया गया है और न्यायिक रिमांड में जेल दाखिला की कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक संतोष नारंग, आबकारी मुख्य आरक्षक राजेश्वर ठाकुर, आरक्षक लाकेश नेताम, कुलदीप ठाकुर, भेखराम पटेल एवं अन्य स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

मुंगेली हादसा : कुसुम स्टील प्लांट में लगातार जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन

मुंगेली | आरएनएस

मुंगेली जिले के रामबोड़ स्थित कुसुम स्टील प्लांट में गुरुवार को हुए हादसे के बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 24 घंटे के बाद भी 3 से 4 मजदूर के दबे होने की आशंका है। वहीं मृतक मजदूर के परिजनों के शिकायत पर पुलिस ने प्लांट के मैनेजर, प्रबंधक, इंचार्ज के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।

बता दें कि मुंगेली के कुसुम स्मेल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड पॉवर प्लांट में गुरुवार को दोपहर करीब 1:09 बजे भारी साइलो (भंडारण टैंक) अचानक गिर गया। इस हादसे में 4 मजदूर साइलो टैंक की चपेट में आने से नीचे दब गए। सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम ने रेस्क्यू कर एक व्यक्ति को बाहर निकाला तथा अस्पताल में भर्ती कराया था जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में अब कुसुम प्लांट का ऑपरेशन मैनेजर अनिल प्रसाद, इंचार्ज अमित केडिया और अन्य प्रबंधक के विरुद्ध धारा 106(1),289,3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। वहीं इस हादसे के बाद से लगातार साइलो टैंक के निचे फंसे हुए मजदूरों को निकालने रेस्क्यु ऑपरेशन चलाया जा रहा है। टैंक के अंदर गर्म साइल होने से राहत दल के द्वारा गैस कटर से टैंक को काटकर जेसीबी पोकलेन के माध्यम से गर्म साइल को बाहर निकाला गया, टैंक

को उठाने के लिए बाहर से हाईड्रो क्रेन मंगाया गया है। रेस्क्यू हेतु क्रेन, जेसीबी, फ ायर ब्रिगेड राहत के उपकरण संसाधन लाए गए हैं। संभावना है कि शीघ्र ही रेस्क्यू ऑपरेशन कर फ ंसे हुए मजदूरों को निकाल लिया जायेगा। मौके पर जिला कलेक्टर राहुल देव, पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल व जिला पंचायत सीईओ प्रभाकर पाण्डेय के द्वारा लगातार घटना रेस्क्यु के लिए नजर बनाए हुए हैं। मौके पर जिला प्रशासन व पुलिस टीम, एनडीआरफ की टीम सभी राहत कार्य में जुटे हैं।

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने जिला स्तरीय सहकारी और तकनीकी समितियों की ली बैठक

❐ नवीन समिति अनुमोदन एवं फसल ऋणमान निर्धारण पर हुई चर्चा

रायगढ़

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने आज कलेक्टर चेम्बर में जिला सहकारी विकास समिति (डीएलडीसी) एवं जिला स्तरीय तकनीकी समिति (डीएलटीसी) की बैठक ली। उन्होंने समितियों के पुनर्गठन योजना के तहत नवीन समिति बनाने के संबंध में चर्चा की। बैठक में प्रस्तावित समितियों के ऋणी सदस्य, कुल रकबे, पंजीकृत सदस्य एवं समिति के अंतर्गत आने वाले पंचायत एवं गांवों की समीक्षा कर शासन के मापदण्ड अनुसार समितियों का अनुमोदन किए जाने का निर्णय लिया गया।

कलेक्टर गोयल ने जिला स्तरीय तकनीकी समिति (डीएलटीसी) की बैठक में आगामी खरीफ एवं रबी के लिए कृषकों को प्रदाय किये जाने वाले फसलवार ऋणमान के निर्धारण के संबंध में समीक्षा की। कलेक्टर गोयल ने कृषकों द्वारा उगाई जाने वाली फसल जैसे धान, गेंहू, मूंगफल्ली, मक्का एवं अन्य फसलों हेतु आगामी विपणन वर्ष 2025-26 में कृषकों को मिलने वाले ऋणमान पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन एवं लागत की जानकारी ली। बैठक में फसल उत्पादन मे लगने वाले लागत अनुसार कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन के ऋणमान में की वृद्धि कर राज्य स्तरीय समिति (एसएलटीसी)को भेजने हेतु निर्णय लिया गया। बैठक में संयोजक सदस्य विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी अपैक्स बैंक पंकज सोढ़ी, उप आयुक्त सहकारिता चंद्रशेखर जायसवाल, उप संचालक कृषि अनिल वर्मा, सहायक संचालक मत्स्य एम.के. पाटले, उद्यानिकी एवं पशुपालन एवं अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

एचएमपीवी वायरस का खतरा

केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए निर्देश, हास्पिटल्स में मास्क का प्रयोग करने के निर्देश

रायपुर | आरएनएस

चीन के बाद हमारे भारत देश में भी एचएमपीवी वायरस की एंट्री हो चुकी है। सोमवार को भारत में एक ही दिन में पांच एचमपीवी के केस मिलने से हडक़ंप मच गया है। वहीं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने भी इसको लेकर बैठक की थी। जिसमें उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए थे। एचएमपीवी वायरस को लेकर प्रदेश के लोगों के लिए एक बार फिर से मास्क लगाकर रहने की गाइडलाइन जारी हुई है। कोरोना महामारी के वक्त भी लोगों को मास्क का उपयोग करने की सलाह दी गई है। लेकिन एचएमपीवी वायरस की वजह से यह स्थिति फिर से लौट आई है।

केंद्र सरकार ने दिए स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश - केंद्र सरकार की ओर से वीडियो कांफ्रेंस करते हुए प्रदेश के अधिकारियों को निर्देश मिले हैं। केंद्र के अफसरों की ओर से बताया गया है कि यह सांस से जुड़ा वायरस है। संक्रमण भी इसी से फैलता है। इसमें सामान्य सर्दी या फ्लू के जैसे लक्षण होते हैं। गाइडलाइन में बताया गया है कि भारत में इस वक्त कर्नाटक राज्य में 2 गुजरात में 1 तमिलनाडु में 2 महाराष्ट्र में 3 कुल आठ पॉजिटिव मरीज हैं। संक्रमण न फैले इसे ध्यान में रखते हुए जांच और उपचार के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

इन गाइडलाइनों का करें प्रयोग - साबुन और पानी से बार-बार हाथ धोएं।

अस्पताल या अन्य भीड़- भाड़ वाली जगहों पर मास्क का प्रयोग करें।

बिना धूले हाथों से आंख ना किया मुंह को छूने से बचें।

बीमार लोगों के करीब ना जाएं।

खांसते या छींकते समय मुंह पर रुमाल रखें।

सांस संबंधी किसी भी तरह की बीमारी होने पर घर पर ही रहें।

इन्हें भेजी गई नई गाइडलाइन - स्वास्थ्य संचालनालय की ओर से नई गाइडलाइन जारी हुई है। यह गाइडलाइन छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य सेवाएं संचालनालय की ओर से जारी की गई है। इसे राज्य के सभी सभी मेडिकल कॉलेज, सभी अस्पताल अधीक्षकों, सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला अस्पतालों के सिविल सर्जन और अस्पताल अधीक्षकों को भेजी गई है।

रायपुर एम्स में होगी जांच - स्वास्थ्य संचालनालय की ओर से बताया गया है कि एचएमपीवी वायरस की जांच रायपुर के एम्स में की जा सकती है। इसमें आरटीपीसीआर टेस्ट, एंटीजन टेस्ट सेरोलॉजी टेस्ट किया जा रहे हैं। उपचार को लेकर जारी के दिशा निर्देशों में मरीज को हाइड्रेटेड रखना, आराम करना, दवाएं देने, जरुरत होने पर ऑक्सीजन सपोर्ट देने की व्यवस्थाएं रखने के लिए कहा गया है। अस्पतालों से यह भी कहा गया है की ओपीडी में आने वाले या पहले से भर्ती मरीजों में इन्फ्लूएंजा लाइक इलनेस के प्रकरणों को अनिवार्य रूप से का रिकॉर्ड मेंटेन करें और टेस्टिंग करें।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढिए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career School, Raigarh, C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU